प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 27.11.23

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा जनपद बुलन्दशहर से गैंगस्टर एक्ट में वाछिंत 10,000/- रूपये का पुरूस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

आज दिनांक 27.11.2023 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेंकिग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर जनपद बुलन्दशहर से गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 10,000/- रुपये का इनामी अभियुक्त अखलाकुर्रहमान पुत्र इम्तियाज अहमद निवासी आमिर मेडिकल वाली गली अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी वडहरवा थाना कुन्डवा चेडपुर जिला पूर्वी चम्पारण बिहार को थाना साहिबाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त अखलाकुर्रहमान उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि लोनी खन्ना नगर में पूर्वांचल हॉस्पिटल चलाता हूँ। वर्ष 2021 दिसम्बर में जनपद बुलन्दशहर मौ0युनुस पुत्र अब्दुल रसीद निवासी मिर्ची टोला कोतवाली शहर बुलन्दशहर जो पूर्व में बसपा पार्टी से जुडे हुए थे, अपने परिवार व साथियों के साथ कहीं जा रहे थे तो दूसरे पक्ष के अनस पुत्र हाजी अलीम निवासी मिर्ची टोला कोतवाली शहर बुलन्दशहर ने मौ0 युनुस के वाहनों पर ताबडतोड फायरिंग कर दी थी जिससे कई लोग घायल हो गये थे जिसमें मौ0युनुस का ड्राईवर खालिद की गोली लगने से मृत्यु हो गयी थी। मौ0युनुस के पक्ष की ओर से भी जवाबी फायरिंग में अनस पक्ष के भी गोली लगी थी । अनस पक्ष के घायल व्यक्ति दीपक नागर पुत्र सुनील नागर नि0 ग्राम कचैडा थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर का उपचार मेरे द्वारा चोरी छिपे लालच में आकर किया गया था तथा उसकी सूचना मेरे द्वारा पुलिस को नही दी गयी थी इसी कारण मैं उस मुकदमे का आरोपी था मेरी उस मुकदमे में जमानत हो गयी थी। वर्तमान में मेरे विरूद्ध थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर में मुकदमा पंजीकृत है जिसमें मैं फरार चल रहा हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अखलाकुर्रहमान पुत्र इम्तियाज अहमद निवासी अमिर मेडिकल वाली गली अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी वडहरवा थाना कुन्डवा चेडपुर जिला पूर्वी चम्पारण बिहार उम्र करीब

बरामदगी का विवरण—

एक तमंचा व एक जिन्दा कारतूस

पंजीकृत अभियोग व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण

अभियुक्त अखलाखुर्रहमान उपरोक्त के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में 01 मुकदमा व जनपद बुलन्दशहर में 02 मुकदमें पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद।

दिनांक 27.11.2023 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दो अभियुक्त 1.राजेन्द्र पुत्र श्रीचन्द ग्राम महमूदपुर थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद 2. महेन्द्र पुत्र बाली निवासी ग्राम महमूदपुर थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद को महमूदपुर पीर से हिन्डन नदी के किनारे शराब बनाते समय गिरफ्तार किया गया, कब्जे से गर्म भट्टी के पास से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद। अभियुक्तगण के विरुध्द अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. राजेन्द्र पुत्र श्रीचन्द ग्राम महमूदपुर थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद
2. महेन्द्र पुत्र बाली निवासी ग्राम महमूदपुर थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण –

एक कैन में 20 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीला मोड़ पुलिस